



न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 78/2017

1. कैलाश पत्नी खुमाराम आयु 50 वर्ष जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 50 भगतसिंह कालोनी, श्री गंगानगर।
2. श्रीमती कल्पना शर्मा पत्नी श्री मोहनलाल आयु 50 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 13 पुरानी आबादी, नामदेव चक्की के पास श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया

बनाम



1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर, शहर।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
3. श्रीमति सुमन गोदारा, महिला पर्यवेक्षक जवाहरनगर, श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. श्री अमित स्वामी, अधिवक्ता अपीलार्थिया

आदेश

दिनांक : 06-11-2017

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण आंगनबाडी केन्द्र 50 सी श्रीगंगानगर में पिछले 18 वर्षों से प्रार्थीया संख्या 1 सहायिका व प्रार्थीया संख्या 2 कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी तथा अपना कार्य कर्तव्य-निष्ठा पूर्वक करती आ रही थी। परियोजना के अधीन संचालित सैक्टर जवाहरनगर में आ० बा० केन्द्र 50 सी का महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 01.02.2017, 01.04.2017, 11.04.2017, 18.05.2017 तथा 30.06.2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र पर गम्भीर अनियमितार्यें पायी गईं। इस कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा तथाकथित प्रथम नोटिस 02/01.02.2017, द्वितीय नोटिस 24/10.04.2017, तृतीय नोटिस 25/11.04.2017 तथा अन्तिम नोटिस 56/30.06.2017 जारी किया गया जबकि प्रार्थीयान को एक भी नोटिस नहीं दिया गया। कथित नोटिस में अंकित करना बताया कि कार्यकर्ता श्रीमती कल्पना शर्मा तथा सहायिका श्रीमती कैलाश के द्वारा कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया। बार-बार निरीक्षण के पश्चात भी केन्द्र पर गम्भीर अनियमितार्यें पायी गईं आदि आदि पर कार्यालय से प्रस्ताव क्रमांक 908/30.06.2017 तैयार कर हटाने की अनुशंसा कर श्रीमान उपनिदेशक महोदय के द्वारा उपरोक्त कार्यकर्ता व सहायिका को अन्तिम सुनवाई का अवसर प्रदान कर हटाने की अभिशंसा कर भिजवाई है। अतः उपरोक्त आदेश क्रमांक 5885 दिनांक 03.08.2017 की पालना में प्रार्थीया संख्या 1 व प्रार्थीया संख्या 02 को तुरन्त प्रभाव से मानदेय से अलग किया जाने का आदेश दिया गया। कार्यालय आदेश में अन्तिम सुनवाई का अवसर दिये जाने का जिक्र है परन्तु हम प्रार्थीयान संख्या 1 व 2 को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रार्थीया संख्या 01 अनुसूचित जाति से है और बीपीएल परिवार से है धर में कमाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से 50 साल की उम्र से एकाएक हटाये जाने से परिवार में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। लिहाजा आदेश श्रीमान बाल विकास परियोजना

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिकारी श्रीगंगानगर शहर पत्र क्रमांक:- CDPO URBAN/स्था/ 2016-17 /1066 दिनांक 06.09.2017, आदेश क्रमांक 5885 दिनांक 03.08.2017 को अपास्थ कर प्रार्थीयान को बहाल किये जाने का आदेश फरमाया जाकर प्रार्थीयान को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। रिपोर्ट एवं रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अपीलार्थीगण आंगनबाडी केन्द्र 50 सी श्रीगंगानगर में पिछले 18 वर्षों से प्रार्थीया संख्या 1 सहायिका व प्रार्थीया संख्या 2 कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत थी तथा अपना कार्य कर्तव्य-निष्ठा पूर्वक करती आ रही थी। महिला पर्यवेक्षक के द्वारा तथाकथित प्रथम नोटिस 02/01.02.2017, द्वितीय नोटिस 24/10.04.2017, तृतीय नोटिस 25/11.04.2017 तथा अन्तिम नोटिस 56/30.06.2017 जारी किया गया जबकि प्रार्थीयान को एक भी नोटिस नहीं दिया गया। प्रार्थीयान पिछले 18 वर्षों से अपना कार्य निष्ठा व ईमानदारी से कर रही है। श्रीमान उपनिदेशक महोदय के द्वारा उपरोक्त कार्यकर्ता व सहायिका को अन्तिम सुनवाई का अवसर प्रदान कर हटाने की अभिशंभा कर भिजवाई है। अतः उपरोक्त आदेश क्रमांक 5885 दिनांक 03.08.2017 की पालना में प्रार्थीया संख्या 1 व प्रार्थीया संख्या 02 को तुरन्त प्रभाव से मानदेय से अलग किया जाने का आदेश दिया गया को न्यायसंगत नहीं है क्योंकि प्रार्थीयान को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अतः प्रार्थीयान को आदेश श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर शहर पत्र क्रमांक:- CDPO URBAN/स्था/2016-17/1066 दिनांक 06.09.2017, आदेश क्रमांक 5885 दिनांक 03.08.2017 को अपास्थ कर प्रार्थीयान को बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

रेस्पोंडेन्ट बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्रीगंगानगर शहर ने अपनी जबाब एवं बहस में कहा है कि अपीलार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाकर मानदेय से प्रथक किया गया है क्योंकि अपीलार्थीगण को सैक्टर जवाहरनगर में आ0बा0केन्द्र 50 सी का महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 01.02.2017, 01.04.2017, 11.04.2017, 18.05.2017 तथा 30.06.2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान केन्द्र पर गम्भीर अनियमिततायें पाई गईं, इसी कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा नोटिस जारी किया गया परन्तु कार्यकर्ता श्रीमती कल्पना शर्मा तथा सहायिका श्रीमती कैलाश के द्वारा कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया। इससे पूर्व महिला पर्यवेक्षक के द्वारा कई बार इस केन्द्र का निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार की अनियमितता पाई गई है। बार बार अवसर प्रदान करने के पश्चात भी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया गया। तदुपरान्त उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस क्रमांक 5690-92 दिनांक 18.07.2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना हेतु लिख गया जिसमें कार्यकर्ता ने अपना जबाब पेश कर लिखा कि मेरे पति की अचानक दुर्घटना होने की वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पाई एवं काम अधूरा होना भी स्वीकारा है। जिस पर उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर द्वारा अपने क्रमांक 5885 दिनांक 03.08.2017 से कार्मिक का केन्द्र बन्द रखने, अनुपस्थित रहने, कार्य के प्रति लापरवाही रखने के कारण मानदेय सेवा से पृथक करने की अभिशंभा की

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर



18/17

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

3

गई है। अतः अपील खारिज की जाकर कार्यालय द्वारा जारी आदेश को बहाल रखा जावे।



अपीलार्थीयां श्रीमती कल्पना शर्मा (कार्यकर्ता) ने अपने जबाब दिनांक 30.06.2017 से निवेदन किया कि मेरे आंगनबाडी केन्द्र 50 सी का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय सहायिका के ब्लाउज नहीं था, यूनिफार्म का घाघरा और यूनिफार्म थी व 12 बच्चे बैठे थे और प्रार्थना के समय बच्चे 4 बैठे थे उनको मैने नास्ता दे दिया और 9 बजे के उपरान्त बच्चे आये तब कार्यकर्ता द्वारा उनको किताबे करने लग गयी थी और उनका गर्म पोषाहार का समय हो चुका था, नास्ता निकालने के बाद 7 बच्चे बाद में आये उनको नहीं दिया सिर्फ गर्म पोषाहार खिलवाया था और आगे भविष्य में कोई गलती नहीं करूंगी, 50 (सी) केन्द्र अच्छी तरह चलाउंगी एवं जबाब दिनांक 27.07.2017 से निवेदन किया कि मेरे पति की अचानक दुर्घटना होने की वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पाई, सुपरवाईजर को मैने सूचित किया और अर्जी देने के बावजूद भी मुझे अनुपस्थित बताया गया और मेरे वार्ड 50 सी में दो केन्द्र और वार्ड के खुलवा दिये गये, इस कारण बच्चों की कमी हो गयी। मेरी आशा सहयोगिनी नहीं होने की वजह से मुझे अकेली को सारा रिकार्ड पूरा करना पडा एक अधूरा था बाकी पूरे थे। आपसे निवेदन है कि मैं भविष्य में कभी गलती नहीं करूंगी।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्री गंगानगर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1172 दिनांक 16.10.2017 में अंकित किया है कि " महिला पर्यवेक्षक द्वारा आंगनबाडी केन्द्र का समय समय पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गम्भीर अनियमितताये पाये जाने के कारण महिला पर्यवेक्षक के द्वारा नोटिस क्रमांक :-02/01.02.2017,(कार्यकर्ता व सहा0), 24/10.04.2017,(कार्यकर्ता) तथा 25/11.04.2017,(कार्यकर्ता), 39/18.05.2017,(कार्यकर्ता), 56/30.06.2017,(कार्यकर्ता) 26/11.04.2017,(कार्यकर्ता), 23/10.04.2017,(सहा0) को जारी किये गये, जिस पर उपनिदेशक के द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपने आदेश क्रमांक 5885 दिनांक 03.08.2017 अपीलार्थीगण को हटाने की अभिशंभा जारी की गई।

विभागीय परिपत्र क्रमांक 150819 दिनांक 9.11.2016 अनुसार जिला स्तरीय अधिकारी निदेशालय के अधिकारियों अथवा अन्य उच्चधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किये जाने पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आंगनबाडी केन्द्र बंद पाये जाने व गम्भीर अनियमितता पर संक्षिप्त जांच उपरान्त मानदेय कर्मियों को दोषी पाये जाने पर मानदेय सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित मानदेय कर्मी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए संक्षिप्त जांच उपरान्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी समेकित बाल विकास सेवाएँ द्वारा सेवा से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा। निर्णय से सम्बन्धित निरीक्षणकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित किया जावेगा। किसी मानदेयकर्मी के बिना किसी सूचना/अनुमति के अनुपस्थित रहने पर 1-1 माह के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जायेगे। दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मी को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार अपीलार्थीगण श्रीमती कैलाश (सहायिका) श्रीमती कल्पना शर्मा (कार्यकर्ता) को नोटिस जारी किये गये परन्तु उनकी विधिवत तामिल नोटिस दिनांक 18.05.2017 जो कि श्रीमती कल्पना शर्मा (कार्यकर्ता) को

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

प्राप्त होना पाया गया जिसमें अंकित है कि दिनांक 18.05.2017 को 7.10 ए.एम. पर आपके केन्द्र का निरीक्षण किया गया जिसमें आप 7.10 ए.एम. पर अनुपस्थित थी एवं नोटिस दिनांक 30.06.2017 जो श्रीमती कैलाश (सहायिका) को विधिवत तामील होना पाया गया जिसमें अंकित है कि आप निरीक्षण के समय बिना यूनिफॉर्म (विभागीय पोषक) पाई गई का जारी किया हुआ है। विभागीय निर्देशानुसार उन्हें 1-1 माह के अन्तराल में 2 नोटिस दिये जाने थे। दूसरे नोटिस के 15 दिवस के अन्दर उपस्थित नहीं होने पर संबंधित कर्मी को मानदेय सेवा से पृथक किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए "सक्षिप्त जांच" बाद विधिवत सुनवाई का अवसर देकर समुचित एवं निर्धारित कार्यवाही किये बिना ही पृथककरण के लिए अनुशंसा की है, वह विभागीय परिपत्र क्रमांक 150819 दिनांक 9.11.2016 के अनुरूप नहीं है लिहाजा उसे यथावत रखा जाना एवं उसके अनुक्रम में अप्रार्थी संख्या 1 सीडीपीओ श्रीगंगानगर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1066 दिनांक 06.09.2017 निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर का आदेश क्रमांक 5885 दिनांक 03.08.2017 तथा अप्रार्थी संख्या 1 का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाते हैं। अप्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को उनकी सेवा पर तुरन्त प्रभाव से यथावत रखने के आदेश जारी करें साथ ही श्रीमती कल्पना शर्मा (कार्यकर्ता) एवं श्रीमती कैलाश (सहायिका) को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा आगे से किसी प्रकार की अनियमितता की जाती है या अपने पदीय कर्तव्यों का लोप किया जाना पाया जाता है तो उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर आपको मानदेय से पृथक करने हेतु स्वतन्त्र रहेगी। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया

गया।



(नखतदान बारहठ)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर